

नौवहन महानिदेशालय , मुंबई

नागरिक चार्टर

नौवहन महानिदेशालय तथा इसके संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालय वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, १९५८ के प्रशासन तथा अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों एवं प्रोटोकॉलों के कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि भारतीय समुद्रीय जगत को कुशलतापूर्वक सेवा प्रदान की जा सके जिस से उद्योग तथा समग्र रूप से राष्ट्र को लाभ मिलेगा तथा समुद्रीय प्रशासन यहाँ नीचे विनिर्दिष्ट किए अनुसार अपने संबद्ध / अधीनस्थ कार्यालयों के माध्यम से जनसामान्य को समस्त सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है । निर्दिष्ट सेवाओं का विवरण वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, १९५८ में दिया गया है तथा जिन अन्तरराष्ट्रीय कन्वेंशनों तथा सेवाओं को शामिल नहीं किया गया है तथा नागरिकों द्वारा जिनकी मांग की जाती है उन्हें भी ,मांगे जाने पर, प्राथमिकता आधार पर प्रदान किया जाता है :

प्रशासन तथा लेखा :

(i)	भंडार तथा लेखन सामग्री की खरीद संबंधी बिलों का निपटान।	भंडार / लेखन सामग्री की आपूर्ति तिथि तथा बिलों की प्राप्ति की तिथि से १५ कार्य दिवस।
(ii)	विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं हेतु भुगतान का निपटान।	कार्य की संतोषजनक समाप्ति की तिथि तथा बिलों की प्रस्तुति से १५ कार्य दिवस।

नौवहन विकास

(i)	वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, १९५८ की धारा ४०६ और ४०७ के अन्तर्गत जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस जारी करना बशर्ते सभी विनिर्धारित शर्तों को संतोषजनक रूप से पूरा किया गया हो।	आवेदन प्राप्ति की तिथि से ३ कार्य दिवस।
(ii)	चार्टर अनुमति जारी करना बशर्ते सभी विनिर्धारित शर्तों को संतोषजनक रूप से पूरा किया गया हो।	आवेदन प्राप्ति की तिथि से ३ कार्य दिवस।
(iii)	२५ वर्ष से अधिक आयु के जलयानों के अधिग्रहण हेतु तकनीकी निकासी की स्वीकृति।	आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक मास बशर्ते सभी विनिर्धारित शर्तों को पूरा करता हों।
(iv)	झाई डॉकिंग तथा इसी प्रकार के समान प्रयोजन के लिए छोटी समुद्री विदेशी यात्राओं के लिए अनुमति की स्वीकृति।	पूर्ण रूपसे भरे हुए आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से ३ कार्य दिवस।

कर्मीदल मामले :

(i)	नाविकों की शिकायतों संबंधी अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों के लक्ष्यों का निपटान ।	संबंधित पक्षों से सूचना प्राप्ति पर १५ कार्य दिवसों के भीतर ।
(ii)	मृत नाविक के निकट संबंधी से प्राप्त अभ्यावेदनों का निपटान ।	आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से १५ कार्य दिवस के भीतर, बशर्ते संबंधित पक्षों से अपेक्षित विवरण प्राप्त हो जाए ।
(iii)	पोत पर अधिक संख्या में लोगों को नियोजित करने हेतु । अनुमति के लिए आवेदनों का निपटान ।	आवेदनों की प्राप्ति की तिथि से ३ कार्य दिवस के भीतर बशर्ते कि सभी विनिर्धारित शर्तों को पूरा किया हो ।
(iv)	वाणिज्यिक पोत परिवहन (नाविकों की भर्ती तथा नियोजन) नियम २००५ के अन्तर्गत जन संयोजन अभिकर्ताओं की मान्यता हेतु प्राधिकार ।	५ कार्य दिवस के भीतर, बशर्ते सभी विनिर्धारित शर्तों को संतोषजनक रूप से पूरा कर दिया हो ।
(v)	सीडीसी मामलों पर संदर्भों का निपटान ।	१० दिन के भीतर, बशर्ते कि सारी जानकारी एकत्र की जा सके ।

एम टी ओ को मान्यता :

(i)	एम एम टी जी अधिनियम, १९९३ के अन्तर्गत एमटीओ को मान्यता ।	आवेदन प्राप्ति से १५ कार्य दिवस के भीतर बशर्ते कि सभी अपेक्षाओं को संतोषजनक रूप से पूरा कर दिया हो ।
(ii)	एमटीओ की मान्यता का पुनर्नवीकरण ।	आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर बशर्ते सभी शर्तों को संतोषजनक रूप से पूरा कर दिया हो ।
(iii)	कन्टेनरों को छोड़ने हेतु अनापत्ति की स्वीकृति ।	२-३ सप्ताह ।

प्रशिक्षण मामले :

(i)	शैक्षणिक परिषदों द्वारा समुद्रपूर्व प्रशिक्षण संस्थान की अवसंरचना का निरीक्षण ।	आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक मास के भीतर बशर्ते सभी विनिर्धारित शर्तों को संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया गया हो ।
(ii)	नॉटिकल तथा इंजीनियरिंग अनुभागों द्वारा किए गए निरीक्षण की रिपोर्ट की तकनीकी संवीक्षा तथा प्रस्ताव का अंतिम निपटान ।	निरीक्षण रिपोर्ट के अंतिम रूप में आने से १२ मास के भीतर बशर्ते समस्त अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो ।

तटवर्ती नौवहन मामले :

(i)	क्षेत्रीय कार्यालय पाल के माध्यम से पाल जलयान के नाविकों को परिचय पत्र जारी करना ।	५ कार्य दिवस के भीतर बशर्ते कि सभी विनिर्धारित शर्तों की पूर्ति कर दी गई हो ।
(ii)	परिचय पत्रों का पुनर्नवीकरण, प्रतिस्थापन तथा निरसन ।	पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदनों की प्राप्ति से ५ कार्य दिवस के भीतर ।

नॉटिकल परीक्षा :

(i)	मासिक समय सारणी बनाना ।	परीक्षा के आरंभ से २० दिन पहले ।
(ii)	परिणामों की घोषणा ।	उस ग्रेड की अंतिम परीक्षा के पश्चात ४० दिन के भीतर ।
(iii)	मौखिक परीक्षा का संचालन ।	परीक्षा की तय तिथि ।
(iv)	सक्षमता प्रमाणपत्र का प्रेषण ।	१५ /२१ दिवस मुंबई / बाहरी समुद्री वाणिज्य विभाग ।

आईएसपीएस कोड :

(i)	एस एस पी का अनुमोदन तथा समीक्षा ।	योजना प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(ii)	आईएसएससी / सीएसआर जारी करना ।	रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत २५ दिन के भीतर ।
(iii)	एसओसी जारी करना ।	रिपोर्ट प्राप्ति के उपरांत २५ दिन के भीतर ।
(iv)	पीएफएसए / पीएफएसपी की समीक्षा ।	योजना प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।

योजनाओं का अनुमोदन :

(i)	एसओपीईपी / एसएमपीईपी / समीक्षा ।	प्राप्ति के उपरांत १५ दिन के भीतर ।
(ii)	पी एन्ड ए मैनुअल ।	प्राप्ति के उपरांत १५ दिन के भीतर ।
(iii)	जीएमडीएसएस रेट्रोफिट योजनाएं ।	प्राप्ति के उपरांत १५ दिन के भीतर ।
(iv)	एआईएस योजनाएं ।	प्राप्ति के उपरांत १५ दिन के भीतर ।
(v)	एलएसए योजनाएं ।	प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(vi)	एल एन्ड एस एस योजनाएं ।	प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(vii)	ब्रिज विन्यास योजनाएं ।	प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(viii)	कारगो सिक्वोरिंग मैनुअल ।	प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।

चिकित्सा परीक्षा मामले :

(i)	चिकित्सा परीक्षकों का अनुमोदन ।		प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(ii)	अपीलीय मामलों का निपटान ।		प्राप्ति के उपरांत २० दिन के भीतर ।
(iii)	चिकित्सा अयोग्य मामलों का विश्लेषण ।		छमाही आधार पर ।
(iv)	नौवहन महानिदेशालय वेबसाइट पर अनुमोदित परीक्षक का दर्शाना ।		छमाही आधार पर ।

जीवन रक्षी उपकरण, रेडियो उपकरण तथा सेवा केन्द्र से संबंधित मामले :

(i)	नौचालन उपकरणों का अनुमोदन ।		पत्र प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(ii)	जीवन रक्षी उपकरणों, रेडियो उपकरण के लिए स्वीकृति पत्र जारी करना ।		पत्र प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(iii)	डिसपेन्सेशन/छूट पत्रों को जारी करना ।		पत्र प्राप्ति के उपरांत १५ दिन के भीतर ।
(iv)	तट आधारित अनुरक्षण करार का अनुमोदन ।		पत्र प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(v)	लाइफ राफ्ट / बचाव नौका सेवा केन्द्र हेतु अनुमोदन जारी करना ।		पत्र प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(vi)	ईपीआईआरबी / एसएआरटी सेवा केन्द्र का अनुमोदन ।		पत्र प्राप्ति के उपरांत ३० दिन के भीतर ।
(vii)	तट बेतार केन्द्र अनुमोदन मामले ।		पत्र प्राप्ति के उपरांत ०३ दिन के भीतर ।

पोतों का पंजीकरण :

(i)	नाम का अनुमोदन ।		३ कार्य दिवस के भीतर ।
(ii)	कॉल संकेत का अनुमोदन ।		३ कार्य दिवस के भीतर ।
(iii)	कार्यालयीन संख्या का अनुमोदन ।		३ कार्य दिवस के भीतर ।
(iv)	एमएमएसआई / डीएससी नंबर का आवंटन ।		३ कार्य दिवस के भीतर ।
(v)	पंजीकरण पत्तन के परिवर्तन हेतु अनुमोदन ।		७ कार्य दिवस के भीतर ।
(vi)	पंजीकरण बंद होने से संबंधित मामले ।		३ कार्य दिवस के भीतर ।
(vii)	बंधक संबंधी मामले ।		७ कार्य दिवस के भीतर ।
(viii)	केन्द्रीय पंजीकरण से उद्धरण जारी करना ।		३ कार्य दिवस के भीतर ।

छूट संबंधी मामले :

(i)	जनसंयोजन छूट जारी करना ।		आवेदन प्राप्ति से ५ कार्य दिवस के भीतर ।
(ii)	आयु में छूट को जारी करना ।		आवेदन प्राप्ति से ३ कार्य दिवस के भीतर ।
(iii)	अधिसंख्यकों की छूट को जारी करना ।		आवेदन प्राप्ति से ३ कार्य दिवस के भीतर ।

यात्रा अनुमति तथा टोवेज संबंधी मामले :

(i)	एकल / सीजन समुद्री यात्राएं ।	अनुरोध प्राप्ति से ४ कार्य दिवस के भीतर ।
(ii)	टोवेज अनुमति ।	अनुरोध प्राप्ति से ४ कार्य दिवस के भीतर ।

इंजीनियरिंग मामलें :

(i)	भारत तथा विदेशों में बनने वाले जलयानों के लिए पेटा, मशीनरी, अग्निशामक उपकरण तथा तेल प्रदूषण की योजनाओं का अनुमोदन ।	एक मास ।
(ii)	भारतीय जलयानों के प्रचालन मैनुअलों तथा लदान एवं प्रचालन हेतु प्रलेखों का अनुमोदन ।	एक मास ।
(iii)	भारतीय पोत स्वामियों द्वारा पोतों के अधिग्रहण हेतु प्रस्तावों की तकनीकी संवीक्षा ।	१५ दिवस ।
(iv)	समुद्री इंजीनियरों की परीक्षा तथा प्रमाणपत्र ।	मासिक समय सारणी के अनुसार परीक्षा निदेशालय में आवेदन मिलने के उपरांत ३ सप्ताह के भीतर सक्षमता प्रमाणपत्र तैयार करना ।
(v)	समुद्री इंजीनियरों को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले सस्थानों में विभिन्न कार्यशालाओं का अनुमोदन तथा अनुवीक्षण ।	एक मास ।

(vi)	विदेश में भारतीय जलयानों के सांविधिक सर्वेक्षण का नियंत्रण ।	एक महीना ।
(vii)	बंकर आपूर्तिकर्ताओं का पंजीकरण ।	१५ दिन ।
(viii)	इंजीनियरों की आवश्यकताओं तथा अन्य सांविधिक अपेक्षाओं संबंधी छूट ।	७ कार्य दिवस ।

नौ - वास्तु मामले :

(i)	वाणिज्यिक पोतों, डम्ब बार्जेज, मत्स्यकी की ट्रिम एवं स्थिरता पुस्तिकाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।
(ii)	नुकसान स्थिरता पुस्तिकाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।
(iii)	ग्रेन स्थिरता पुस्तिकाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।
(iv)	टनभार परिकलन की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।

(v)	कू आवास योजना की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।
(vi)	लदान प्रचालन मैनुअल की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।
(vii)	संरचनात्मक अग्नि शामक योजनाओं की संवीक्षा ।	प्रस्तुति के एक मास के भीतर ।
(viii)	कार्गो सिक्वेरिंग मैनुअल की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के एक मास के भीतर ।
(ix)	संवातन एवं पाइपिंग योजना की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।
(x)	यात्री पोतों की उप प्रभागीय गणनाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।
(xi)	यात्री पोतों की संरचनात्मक योजनाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर ।
(xii)	बचाव नौका / तीव्र बचाव नौका की योजनाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।
(xiii)	जीवन नौका योजनाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के तीन महीने के भीतर ।
(xiv)	फुलाने योग्य लाइफ राफ्ट योजनाओं की संवीक्षा एवं अनुमोदन ।	प्रस्तुति के दो महीने के भीतर ।
(xv)	इन्सुलेशन, फर्श, फायर क्लास पेनल्स, सीलिंग, अग्निद्वार एवं अन्य साज सामान जैसी अग्नि संरक्षण सामग्रियों का अनुमोदन ।	प्रस्तुति के एक महीने के भीतर ।
(xvi)	ईएसपी रिपोर्ट की संवीक्षा एवं पृष्ठांकन ।	प्रस्तुति के एक महीने के भीतर ।
(xvii)	सीएस अंतिम पुनरीक्षण रिपोर्ट एवं अनुपालन विवरण का जारी करना ।	पूरे सीएस सर्वेक्षण रिपोर्ट का प्रस्तुति के एक महीने के भीतर ।
(xviii)	भारत सरकार भार रेखा का समनुदेशन ।	समुद्री वाणिज्य विभाग से सर्वेक्षण रिपोर्ट एवं भार सेवा प्रपत्र प्राप्त होने के दो महीने के भीतर ।
(xix)	पोत अधिग्रहण के लिए हल के दृष्टिकोण से तकनीकी समाशोधन ।	तीन दिनों के भीतर ।

टिप्पणी :- १) इन लक्ष्यों के प्राप्त करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किए जाएंगे मगर संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों के दौरे या छुट्टी पर जाने से निर्धारित अवधि से थोड़ा विचलन हो सकता है ।

२) आवंटित उपर्युक्त समय की शुरुआत, अनुभाग में पत्रों की प्राप्ति के समय से होगी

(I) सेवाएँ (पोत परिवहन सेक्टर)

	सेवा प्रदान करने के लिए अपेक्षित समय		
नौवहन महानिदेशालय के अधीन विभिन्न कार्यालयों की सेवाओं के ब्योरे	समुद्री वाणिज्य विभाग, मुंबई	समुद्री वाणिज्य विभाग, कोलकाता	समुद्री वाणिज्य विभाग, चेन्नई
पातों के कर्मिदल आवास, ट्रिम और स्थायित्व पुस्तिकाएं, ग्रेन लदान मैनुअल, एलएसए, एलएन्ड एसएस तथा अग्निशामक उपस्कर एवं रेडियों संस्थापनाओं (जीएमडीएसएस) के संदर्भ में योजनाओं का अनुमोदन ।	तीस दिन ।	तीस दिन ।	तीस दिन ।
सोलास मारपोल और इन्टरनेशनल लोड लाइन कन्वेंशन के अन्तर्गत यात्रा तथा कार्गो पोतों का सांविधिक सर्वेक्षण तथा प्रमाणन ।	सर्वेक्षण के लिए ७२ घंटे की सूचना और सभी कर्मियों को दूर करने के बाद प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक दिन ।	सर्वेक्षण के लिए ७२ घंटे की सूचना और सभी कर्मियों को दूर करने के बाद प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक दिन ।	सर्वेक्षण के लिए ७२ घंटे की सूचना और सभी कर्मियों को दूर करने के बाद प्रमाणपत्र जारी करने के लिए एक दिन ।
भारतीय नौवहन कंपनियों तथा पोतों के लिए अन्तरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबन्धन संहिता (आईएसएम) के अन्तर्गत ऑडिट आयोजित करना ।	की गई तैयारी पर समय निर्भर करता है ।	की गई तैयारी पर समय निर्भर करता है ।	की गई तैयारी पर समय निर्भर करता है ।
विदेशी ध्वज पोतों का पत्तन राष्ट्र नियंत्रण निरीक्षण ।	निरीक्षण के उपरांत कमियों को दूर करते ही आदेश जारी किए जाते हैं ।	निरीक्षण के उपरांत कमियों को दूर करके ही आदेश जारी किए जाते हैं ।	निरीक्षण के उपरांत कमियों को दूर करके ही आदेश जारी किए जाते हैं ।
पोतों पर प्रयुक्त विभिन्न सुरक्षा उपस्करों तथा उपकरणों को अनुमोदन प्रदान करने के लिए औद्योगिक सर्वेक्षण तथा निरीक्षण आयोजित करना ।	सर्वेक्षण तथा निरीक्षण की गहनता पर समय सीमा निर्भर करती है ।	सर्वेक्षण तथा निरीक्षण की गहनता पर समय सीमा निर्भर करती है ।	सर्वेक्षण तथा निरीक्षण की गहनता पर समय सीमा निर्भर करती है ।
अन्तरराष्ट्रीय वर्गीकरण सोसाइटियों द्वारा संचालित प्रत्यायोजित सर्वेक्षणों की रिपोर्ट की संवीक्षा तथा सांविधिक प्रमाणपत्र जारी करना ।	वर्गीकरण सोसाइटियों द्वारा संचालित सर्वेक्षण के लिए रिपोर्ट की जांच तथा पूर्णकालिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पूरे २ दिन का समय ।	वर्गीकरण सोसाइटियों द्वारा संचालित सर्वेक्षण के लिए रिपोर्ट की जांच तथा पूर्णकालिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पूरे २ दिन का समय ।	वर्गीकरण सोसाइटियों द्वारा सर्वेक्षण के लिए तथा रिपोर्ट की जांच पूर्णकालिक प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पूरे २ दिन का समय ।

अन्तर्देशीय जलयान , पाल जलयान तथा मात्स्यकी जलयानों का निरीक्षण तथा प्रमाणपत्र।	सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र जारी करने में पूरे एक दिन का समय, जब कमियों को पूरा कर लिया जाता है।	सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र जारी करने में पूरे एक दिन का समय, जब कमियों को पूरा कर लिया जाता है।	सर्वेक्षण का प्रमाणपत्र जारी करने में पूरे एक दिन का समय, जब कमियों को पूरा कर लिया जाता है।
नौवहन अपघातों की प्रारंभिक जांच।	रिपोर्ट तैयार करने में लगभग ३ मास का समय, बशर्ते सभी गवाहों को परख लिया गया हो तथा उनके बयान को रिकार्ड कर लिया गया हो।	रिपोर्ट तैयार करने में लगभग ३ मास का समय, बशर्ते सभी गवाहों को परख लिया गया हो तथा उनके बयान को रिकार्ड कर लिया गया हो।	रिपोर्ट तैयार करने में लगभग ३ मास का समय, बशर्ते सभी गवाहों को परख लिया गया हो तथा उनके बयान को रिकार्ड कर लिया गया हो।

परीक्षा एवं प्रमाणन

एस टी सी डब्ल्यू कन्वेंशन के अन्तर्गत मास्टरों, मेटों तथा इंजीनियर अधिकारियों की परीक्षा तथा सक्षमता प्रमाण पत्र जारी करना।	अंतिम सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पूरे ३ कार्य दिवस।	अंतिम सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पूरे ३ कार्य दिवस।	अंतिम सक्षमता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पूरे ३ कार्य दिवस।
अन्तर्देशीय जलयानों पर नाविकों की परीक्षा तथा प्रमाणपत्र।	सफल अभ्यर्थियों को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने में पूरे ५ कार्य दिवस।	सफल अभ्यर्थियों को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने में पूरे ५ कार्य दिवस।	सफल अभ्यर्थियों को अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने में पूरे ५ कार्य दिवस।
पश्चिमी शैक्षणिक परिषदों में सभी सीफेयर प्रशिक्षण संस्थानों का अनुमोदन तथा निरीक्षण।	३० दिवस।	३० दिवस।	३० दिवस।

पंजीकरण अनुभाग

भारतीय पोतों का पंजीकरण।	पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिए पूरे दो कार्य दिवस।	पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिए पूरे दो कार्य दिवस।	पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्वीकृति के लिए पूरे दो कार्य दिवस।
बंधकों का पंजीकरण।	बंधकों के पंजीकरण में पूरे दो कार्य दिवस।	बंधकों के पंजीकरण में पूरे दो कार्य दिवस।	बंधकों के पंजीकरण में पूरे दो कार्य दिवस।
अन्तरराष्ट्रीय टनभार प्रमाणपत्र (आईटीसी) जारी करना। पोतों के टनभार का मापन तथा।	आवेदन प्राप्ति के उपरांत पूरे एक कार्य दिवस।	आवेदन प्राप्ति के उपरांत पूरे एक कार्य दिवस।	आवेदन प्राप्ति के उपरांत पूरे एक कार्य दिवस।
अन्तर्देशीय जलयानों , पाल जलयानों तथा मात्स्यकी जलयानों का पंजीकरण।	पंजीकरण के प्रमाणपत्र की स्वीकृति हेतु पूरे दो कार्य दिवस।	पंजीकरण के प्रमाणपत्र की स्वीकृति हेतु पूरे दो कार्य दिवस।	पंजीकरण के प्रमाणपत्र की स्वीकृति हेतु पूरे दो कार्य दिवस।

(II) नौवहन कार्यालय

<p>(i) <u>सीडीसी जारी करना</u></p> <p>निम्नलिखित श्रेणियों में सतत उन्मोचन प्रमाण पत्र (सीडीसी) समय अनुसूची के अनुसार जारी किए जाते हैं बशर्ते निर्धारित पात्रता मानदण्ड तथा प्रलेख को सत्यापित कर लिया गया हो ।</p> <p>(क) पेटी अधिकारी का सीडीसी (ख) कैडेट (बैचवार) का सीडीसी (ग) टी एम ई (बैचवार) का सीडीसी (घ) प्रमाणपत्रित अधिकारी का सीडीसी (ङ) भूतपूर्व नौसेना का सीडीसी (च) रेटिंग (बैचवार) का सीडीसी</p>	<p><u>समय की सीमा</u></p> <p>३० दिन ३० दिन ३० दिन १५ दिन ३० दिन ३० दिन</p>
<p>(ii) <u>सीडीसी से संबंधित विविध सेवाएँ</u></p> <p>अपेक्षित प्रलेखों के प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रत्येक के सामने दिखाई गई समय अनुसूची के अनुसार सीडीसी जारी किए जाते हैं ।</p> <p>(क) अतिरिक्त सीडीसी जारी करना । (ख) सीडीसी की दूसरी प्रति जारी करना । (ग) सीडीसी का पुनर्वेधीकरण । (घ) पेपर सीडीसी को पुस्तक सीडीसी में परिवर्तित करना । (ङ) प्रशिक्षुता समुद्री सेवा नियम, १९६० के अनुसार केडेटों के विलेखों का प्रमाणीकरण ।</p>	<p>१५ दिन १५ दिन १० दिन १० दिन ०१ दिन</p>
<p>(iii) <u>नाविकों को भुगतान</u></p> <p>(क) नाविकों की शेष मजदूरी का निपटारा । (ख) मृत नाविकों की विधवा या उसमे के निकट संबंधी को शेष मजदूरी का निपटारा ।</p>	<p>१ दिन ३० दिन</p>
<p>(iv) <u>नाविक कल्याण योजना</u></p> <p>(क) पोतस्थ कार्य स्थितियों अर्थात पीने का पानी , भोजन , आवास और मजदूरी आदि से संबंधित नाविकों की शिकायतों को दूर करना । (ख) पोतस्थ कार्यरत नाविकों के परिवारों को स्थानीय सरकारी प्राधिकारियों द्वारा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सहायता प्रदान करना । (ग) बीमार नाविकों को सेंटजार्ज हस्पताल / नाविक क्लीनिक में निःशुल्क चिकित्सा उपचार के लिए भेजना ।</p>	<p>०२ दिन ०७ दिन ०१ दिन</p>

<p>(घ) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम १९५८ की धारा १३२ के अंतर्गत पोत मालिकों और नाविकों के बीच मजदूरी विवाद का निपटारा।</p> <p>(ङ) सेवा - निवृत्त नाविकों को उनके निवेदन पर सीडीसी निरसन करना।</p> <p>(च) सीडीसी निरसन करने के पश्चात सेवानिवृत्त नाविकों सेवा रिकार्ड जारी करना जिससे उन्हें सेवा लाभ प्राप्त हों।</p>	<p>३० दिन</p> <p>०३ दिन</p> <p>०१ दिन</p>
<p>(v) अन्य सेवाएँ</p> <p>नाविकों की तैनाती / कार्यमुक्त</p> <p>(क) वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम १९५८ की धारा ४५२ के अंतर्गत नाविकों की मृत्यु की जांच।</p> <p>(ख) नाविकों के अनुशासनिक मामले।</p>	<p>३० दिन</p> <p>१० दिन</p>

(IV) नाविक कल्याण निधि सोसायटी

<p>अर्ध वार्षिक आधार पर मासिक अनुग्रह आर्थिक सहायता (एमईएमए)।</p>	<p>एक अर्धवार्षिक अवधि विशेष में प्राप्त आवेदनों को निपटान बशर्ते अपेक्षित प्रलेख छः महीने पूरे होने के तुरंत बाद प्रस्तुत कर दिया गया हों।</p>
<p>विदेश गामी नाविकों की विधवाओं को रु. ५०००/- और देशीय व्यापार नाविकों की विधवाओं को रु. ३०००/- की दर से तदर्थ अनुग्रह वित्तीय सहायता।</p>	<p>२०-२५ दिन अपेक्षित होते हैं, बशर्ते आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों।</p>
